कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
(आहरण वितरण प्रकोष्ठ)
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN UTTARAKHAND

Website-http://pwd.uk.gov.in **E-Mail-cepwdua@gmail.com & eicpwduk@nic.in**

पत्रांकः– 136 **/03 कैश–2020** **दिनांकः–**24/07/2020

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एंव विभागाध्यक्ष/मुख्य अभियन्ता
I.T. HEAD विभागाध्यक्ष कार्यालय
लो0नि0वि0, देहरादून।

विषयः– आयुष्मान भारत/अटल आयुष्मान, उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिको एंव पेंशनर्स को राज्य SGHS (State Government Health Scheme) के अन्तर्गत समस्त कर्मचारी/अधिकारियों का डाटा फीड एंवम सबमटि करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– **आपर सचिव उत्तराखण्ड शासन का पत्र दिनांक–04.5.2020**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित शासनादेश एंवम जारी IFMS जारी Alerts के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आयुष्मान भारत/अटल आयुष्मान, उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिको को राज्य SGHS (State Government Health Scheme) के अन्तर्गत चिकित्सकीय उपचार को प्रभावी बनाये जाने हेतु SGHS कार्ड बनाये जाने है। जिसमें राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों का डाटा फीड एंव सबमिट करने हेतु आई एफ एम एस में ऑप्शन दिया गया हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया आईएफएम0एस में Employee Log In > Claim>SGhS Entry जिसमें कर्मचारी द्वारा आपना डाटा फीड एंव सेव करके सटिफिकेट का प्रिंट समबन्धित अधिष्ठान के प्रशासनिक अधिकारियों से सेवा अन्य लेखा के आधार पर से सत्यापित करने के पश्चात आहरण वितरण अधिकारी के पास जमा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उक्त शासनादेश को NIC PWD बेबसाइट के Emidate attentions में भी अपलोड कर दिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्तानुसार अपना डाटा फीड करके उसकी प्रति कैश वर्ग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संगलग्नकः– ALERT (दिशानिर्देश)
उदाहरण पत्र (1–3)

(उपेन्द्र सिंह रावत) 24/7/2020
आहरण वितरण अधिकारी
24/7/17

प्रतिलिपिः–

(1) प्रमुख अभियन्ता एंव विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
(2) मुख्य अभियन्ता(मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
(3) वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एंव विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(उपेन्द्र सिंह रावत)
आहरण वितरण अधिकारी

IFMS
Uttarakhand

Entitlements | MIS | GPF

21/07/2020 03:26:15

not distributed in this Grant an
Financial Year

Latest GO's

Grant No

129, dated 29 Ma

MS Training(For DD

DDO Details

Message

	TAN Number	
in WD	MRTP00808D	05M

cessing of IFMS
ctions)

r Manual Click H

©Copyr

ed 2019

Alerts

समस्त कर्मचारियों एवं आहरण वितरण अधिकारीयों को अवगत कराना है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत शासनादेश संख्या 214(1)/XXVVIII-3-2020-04/2008.T.C. दिनांक 04/May/2020 के क्रम में राज्य सरकार के कर्मचारियों/ अधिकारीयों का डाटा फीड एवं सबमिट करने हेतु आई ऍफ एम् एस में ऑप्शन जोड़ दिया गया है। जिसका पाथ आगे दिया जा रहा है। 1- Employee Log In> Claim> SGHS Entry जिसमे कर्मचारी द्वारा डाटा फीड एवं सेव करके सर्टिफिकेट का प्रिंट लेकर अपने आहरण वितरण अधिकारी के पास जमा किया जायेगा। जो कर्मचारी ऑन लाइन डाटा फीड करने में सक्षम नहीं हैं उनके लिए आहरण वितरण अधिकारी के स्तर पर Operator Log In > HRMS > SGHS Entry > State Govt Helth Schem (Employee) में भी उक्त डाटा फीड करने की व्यवस्था दी गई है। २-कर्मचारी द्वारा सर्टिफिकेट आहरण वितरण अधिकारी के पास जमा कर लेने के बाद आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उक्त सर्टिफिकेट को जांचोपरांत सिग्नेचर करके आहरण वितरण अधिकारी के ऑपरेटर से अपलोड एवं सबमिट किया जायेगा। तत्पश्चात सुपरवाइजर एवं आहरण वितरण अधिकारी के स्तर से अप्प्रूव किया जायेगा।

Close

EXAMPLE — PAGE - 1

State Government Health Scheme (SGHS)

Download Help Document for Hindi Language Input Search Employee - 010022195 Search Clear

	Salutation	First Name	MiddleName	Last Name	Date Of Birth	Aadhar No.	Mobile No.	Dependant
Employee Name	Mr	[redacted]ani	[redacted]	Sharma	07-FEB-[redacted]	3273[redacted]	983[redacted]	☑
Employee Name(Hindi)		[redacted]ani	[redacted]	Sharma				
Gender	Male	Marital Status	[redacted]	Retirement Date	28-FEB-[redacted]			
Father Name	Late	[redacted]	[redacted]	Sharma				
Father Name(Hindi)		[redacted]	[redacted]	Sharma				
Mother Name	Late	[redacted]	[redacted]	Sharma				
Mother Name(Hindi)		[redacted]	[redacted]	Sharma				
Spouse Name	Mrs	[redacted]		Sharma	01-Mar-[redacted]	235211[redacted]	[redacted]009	☑
Spouse Name(Hindi)		[redacted]		Sharma				
Is Spouse in government service or pensioner	◉No ○Yes							

SL No.	Relation	Salutation	First Name	Middle Name	Last Name	First Name(Hindi)	Middle Name(Hindi)	Last Name(Hindi)	Aadhaar Number	Mobile Number	Date of Birth	Dependent
1	Self	Mr	[redacted]ANI	[redacted]R	SHARMA	[redacted]i	[redacted]ar	Sharma	32755[redacted]	[redacted]46S	07-FEB[redacted]	Yes
2	Father	Late	[redacted]	RAJ	SHARMA	[redacted]gh	[redacted]j	Sharma				No
3	Mother	Late	[redacted]	[redacted]I	SHARMA	[redacted]dra	[redacted]i	Sharma				No
4	Spouse	Mrs	[redacted]		SHARMA	[redacted].u		Sharma	[redacted]07024	[redacted]3009	[redacted]-MAR-[redacted]	Yes

EXAMPLE

PAGE-2

SL No.	Relation	Salutation	First Name	Middle Name	Last Name	First Name(Hindi)	Middle Name(Hindi)	Last Name(Hindi)	Aadhaar Number	Mobile Number	Date of Birth	Dependent
1	Self	Mr	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]ar	[redacted]a	3275[redacted]	[redacted]9468	07-FEB[redacted]	Yes
2	Father	Late	[redacted]	[redacted]	[redacted]RMA	[redacted]gh	[redacted]	[redacted]ma				No
3	Mother	Late	[redacted]	[redacted]HINI	[redacted]MA	[redacted]dra	[redacted]ni	[redacted]ma				No
4	Spouse	Mrs	[redacted]		[redacted]MA	[redacted]ju		[redacted]ma	[redacted]7024	8410[redacted]	01-MAR-[redacted]	Yes

Family Detail

Relation -Relation-

Gender Male

Marital Status Select

Salutation

First Name

MiddleName

Last Name

Date Of Birth

Aadhar No.

Mobile No.

Dependent

Family Detail -Salutation

Family Detail(Hindi)

Handicapped :-

Widow :-

Divorcee :-

Sl no	Relation	Salutation	Name English	Name Hindi	Aadhaar Number	Mobile Number	Date of Birth	Dependent	Handicapped	Widow	MemberID	
1	Daughter	Ms	[redacted]	[redacted]	[redacted]2244	[redacted]009	02-MAY-[redacted]	Yes	No	No	1D001[redacted]	Delete
2	Son	Mr	[redacted]	[redacted]	3254[redacted]	841[redacted]	18-NOV-[redacted]	Yes	No	No	1S001[redacted]	Delete

☑ मेरे द्वारा उपरोक्त निर्देश पढ़ लिया गया हैं और में निर्देशों का पालन करूँगा तथा उपरोक्त विवरण का सेवा पंजी से पुष्टि कर ली है

Print Details

EXAMPLE - PAGE - 3

IFMS

Government Of Uttarakhand
State Government Health Scheme (SGHS)

Print Date:23-Jul-2020

Emp Code: 010022195 Employee Name: Mr Ashwani Kumar Sharma Mobile9837559468

Designation: Head Assistant Scale: 35400-112400 (LEVEL 06) Nic: Class: Class III

Sl.No.	Relation	Name English	Name Hindi	Aadhaar Number	Mobile Number	Date of Birth	Dependent
1	Self	[redacted]	[redacted]	[redacted]75	[redacted]58	[redacted]	Yes
2	Father	Late [redacted]	[redacted]				No
2	Mother	[redacted]	[redacted]				No
4	Spouse	Mrs [redacted]	[redacted]	[redacted]24	[redacted]09	01-MAR-[redacted]	Yes
5	Daughter	Ms [redacted]	[redacted]	[redacted]44	[redacted]09	02-MAY-[redacted]	Yes
6	Son	Mr [redacted]	[redacted]	[redacted]22	[redacted]09	18-NOV-[redacted]	Yes

1 - केवल वे सदस्य ही आश्रित मान्य होंगे, जिनकी मासिक आय 9000 से कम होगी । आश्रित सदस्यों की गलत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से स्वयं जिम्मेदार होगा

2 - आश्रित सदस्य की परिभाषा के सम्बन्ध में उत्तराखंड सरकार के पूर्व में निर्गत शासनादेश का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

3 - मेरे द्वारा उपरोक्त निर्देश पढ़ लिया गया है और मैं निर्देशों का पालन करूँगा तथा उपरोक्त विवरण का सेवा पंजी से पुष्टि कर ली है

Mr Ashwani Kumar Sharma
Head Assistant

Engineer in Chief HOD PWD Dehradun
(DDO Signature)

Designed, Developed & Maintained By Indus Web Solution Pvt. Ltd.

प्रेषक,

अरूणेन्द्र सिंह चौहान,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनु0–3 देहरादून : दिनांक 04 मई, 2020

विषय– **आयुष्मान भारत/अटल आयुष्मान, उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स को राज्य SGHS (State Government Health Scheme) के अन्तर्गत चिकित्सकीय उपचार को प्रभावी बनाये जाने हेतु पूर्व निर्गत शासनादेशों में संशोधन।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–रा0स्वा0अभि0/2019–20/जी0ओ0/1842, दिनांक 01.02.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आयुष्मान भारत/अटल आयुष्मान, उत्तराखण्ड योजना को प्रभावी बनाये जाने हेतु योजना में कतिपय संशोधन किए जाने का अनुरोध किया गया हैं।

2. अवगत कराना है कि उक्त योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में समस्त परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान किये जाने हेतु पूर्व में जारी आयुष्मान भारत योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या–688/XXVIII–4–2018–04/2008, दिनांक 14.09.2018 एवं शासनादेश संख्या–870/XXVIII–4–2018–04/2008, दिनांक 06.12.2018 निर्गत किये गये हैं।

3. उक्त योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिको एव पेंशनर्स को राज्य SGHS (State Government Health Scheme) के अन्तर्गत चिकित्सकीय उपचार को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधायें सुलभ कराये जाने के दृष्टिगत उक्त निर्गत शासनादेशों में निम्नवत संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

उत्तराखंड राज्य सरकार के समस्त राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स को SGHS (State Government Health Scheme) के अन्तर्गत चिकित्सकीय उपचार संबंधी व्यवस्थाएं:–

1. कार्मिकों/पेंशनर्स हेतु स्वास्थ्य योजना "राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना" (State Government Health Scheme) के नाम से संचालित होगी।
2. पात्रता– उत्तराखंड राज्य के समस्त राजकीय सेवक/पेंशनर एवं उनके परिवार के सदस्य चिकित्सकीय उपचार हेतु पात्र होगें। परिवार के सदस्यों में निम्न सम्मिलित होगें:–

Desktop Vishal 2019/Letter

Scanned with CamScanner

(i) राजकीय सेवक/पेंशनर्स स्वयं तथा यथास्थिति उनके पति/पत्नी, [illegible] आश्रित हों।

(ii) उनके 25 वर्ष की आयु सीमा तक के पुत्र/पुत्री, जो उन पर आश्रित हों

(iii) राजकीय सेवक/पेंशनर्स के अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा/[illegible] पुत्री बिना किसी आयु सीमा के, जो उन पर आश्रित हों।

(iv) राजकीय सेवक के माता-पिता, यदि उन पर आश्रित हों।

(v) ऐसे पुत्र/पुत्री जो मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्तजन [illegible] पर आश्रित हों, जीवन पर्यन्त।

नोट :- उपर्युक्त के सम्बन्ध में विकलांगता का तात्पर्य न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता से है जिसकी पुष्टि विकलागंता प्रमाण-पत्र (मेडिकल बोर्ड) के आधार पर की [illegible]

आश्रित की परिभाषा :- "आश्रित" का तात्पर्य, जिनकी आय माह [illegible] न्यूनतम पेंशन की धनराशि की सीमान्तर्गत हो।

3. बिना किसी सीमा के चिकित्सकीय उपचार-उत्तराखण्ड राज्य के [illegible] कार्मिकों/पेंशनर्स एवं उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सकीय [illegible] उपलब्ध कराई जाएगी। चिकित्सा उपचार हेतु धनराशि की कोई अधिकतम सीमा नहीं है अर्थात उपचार पर होने वाले समस्त व्यय के भुगतान की सुविधा प्रदान की [illegible]

4. प्रदेश में स्थित सूचीबद्ध राजकीय एवं निजी चिकित्सालय में सीधे उपचार- [illegible] राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स एवं उनके परिवार के [illegible] को प्रदेश में स्थित सूचीबद्ध निजी चिकित्सालय में उपचार (अस्पताल में भर्ती [illegible] हेतु किसी राजकीय चिकित्सालय से संदर्भण (Referral) आवश्यक नहीं है

5. सभी कार्मिकों/पेंशनरों से समान CGHS दरों पर अंशदान लिया [illegible] विवरण निम्नानुसार है :-

सातवें वेतन आयोग के अनुसार-

- वेतन लेवल 1 से 5 तक के राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स [illegible] रू0 250/- प्रतिमाह।
- वेतन लेवल 6 राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स [illegible] प्रतिमाह।
- वेतन लेवल 7 से 11 तक राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स रू0 650/- प्रतिमाह।
- वेतन लेवल 12 एवं उच्चतर राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स रू0 1000/- प्रतिमाह।

6. पति-पत्नी दोनों के सेवारत होने की दशा में दोनों में से जो [illegible] कार्यरत होगा, उसके द्वारा ही अंशदान (Contribution) लिया जायेगा। यदि पति-पत्नी दोनों राजकीय कार्मिक/पेंशनर्स हैं, तो दोनों के माता पिता जो उन पर आश्रित है, परिवार में सम्मिलित होंगे, बशर्ते कि उन दोनों के द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित अंशदान किया जाना आवश्यक होगा।

7. राजकीय सेवक एवं पेंशनर्स के अंशदान के रूप में की गयी कटौती को सोसाइटी के बैंक खाते में स्थानांतरण किया जाना– विभागाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपरोक्तानुसार अंशदान की कटौती ट्रेजरी/आहरण–वितरण अधिकारी के माध्यम से की गई है एवं कटौती उपरांत धनराशि "राज्य स्वास्थ्य अभिकरण" के खाते में e-transaction के माध्यम से प्रतिमाह जमा की जायेगी।

8. कार्मिकों/पेंशनर्स द्वारा प्रस्तुत दावों का स्वीकृत करने का अधिकार वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–एक भाग–2, 1(ii) में प्रावधानित वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के अनुसार होगा। राज्य के बाहर कराये गये उपचार की स्वीकृति भी उक्त वित्तीय प्रतिनिधायन से शासित होंगे।

अपरिहार्य परिस्थिति में आकस्मिकता के दृष्टिगत गैर सूचीबद्ध चिकित्सालय में चिकित्सकीय उपचार हेतु अग्रिम आहरण चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन के 75 प्रतिशत तक ही अनुमन्य किया जा सकता है। अग्रिम स्वीकृत करने का अधिकार वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–एक विवरण पत्र–8 'अग्रिम धनराशियाँ' प्रस्तर–8 में प्राविधानित वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन एवं शासनादेशानुसार होगा।

9. ओ0पी0डी0 अथवा अपरिहार्य परिस्थिति में गैर सूचीबद्ध चिकित्सालयों में कराये गये उपचार के बीजको की प्रतिपूर्ति हेतु दावा अनिवार्यता प्रमाण–पत्र समस्त अभिलेखों सहित आहरण–वितरण अधिकारी के माध्यम से उपचार समाप्ति के छः माह के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त अवधि से विलम्ब की दशा में प्रतिपूर्ति दावा अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

10. अन्तः रोगी चिकित्सा उपचार (IPD)

1) **प्रदेश में चिकित्सकीय उपचार**– उत्तराखंड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स एवं उनके परिवार के सदस्यों को प्रदेश के राजकीय एवं सूचीबद्ध निजी चिकित्सालय में भर्ती होने पर (In patient) चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

2) **कैशलेस उपचार**– उत्तराखंड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स एवं उनके परिवार के सदस्यों को (अस्पताल में भर्ती होने पर) कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।

3) राज्य के कार्मिकों/पेंशनर्स को आयुष्मान भारत में सूचीबद्ध चिकित्सालयों में इलाज कराने की सुविधा असीमित धनराशि तक अनुमन्य होगी।

4) उक्त योजना हेतु पैकेज दरें आयुष्मान भारत योजना हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दरें ही मान्य होंगी।

किन्तु कार्मिकों/पेंशनर्स द्वारा गैर सूचीबद्ध चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने की दशा में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) की दरों के आधार पर कार्मिक/पेंशनर्स को की जायेगी। अनिवार्यता प्रमाण पत्र महानिदेशक, चिकित्सा–स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड से प्रतिहस्ताक्षरित कर आहरण–वितरण अधिकारी के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा भुगतान किया जाएगा।

Scanned with CamScanner

5) राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स एवं उनके परिवार के सदस्यों को SGHS (State Government Health Scheme) के अंतर्गत अतिरिक्त पैकेजेस की सुविधा– राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स को ऐसे चिकित्सा उपचार के लिये जो आयुष्मान में उपलब्ध नहीं है, को Unspecified Package माना जायेगा तथा इन पर रू0 1.00 लाख की सीमा लागू नहीं होगी और एक लाख से अधिक पैकेज उपचार की दरों का निर्धारण राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

6) कार्मिकों/पेंशनर्स को चिकित्सा सुविधा हेतु CGHS की अनुमन्यता के आधार पर शैय्या की अनुमन्यता होगी। इस हेतु अस्पतालों को CGHS की दरों पर कक्ष का भुगतान किया जायेगा। राजकीय कार्मिक एवं पेंशनर्स तथा उनके परिवार के सदस्य हेतु बेड का वर्गीकरण सातवें वेतनमान में वर्णित लेवल के अनुसार 1 से 5 तक सामान्य बेड, लेवल 6 हेतु सेमी प्राइवेट बेड, लेवल 7 से 11 हेतु प्राइवेट बेड एवं लेवल 12 एवं उच्चतर हेतु डीलक्स बेड अनुमन्य कराई जाएगी। सेमी प्राईवेट बेड, प्राईवेट बेड एवं डीलक्स बेड हेतु सी0जी0एच0एस0 (CGHS) की दरों पर चिकित्सालय को भुगतान अनुमन्य होगा।

7) एक निश्चित प्रतिशत के चिकित्सा दावों का आडिट भी किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए आउट डोर पेशेन्ट (OPD) व्यवस्था –

IPD की Cashless व्यवस्था लागू किये जाने के उपरान्त OPD में उपचार कराये जाने पर चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की व्यवस्था निम्नवत् प्रस्तावित है :–

1. शासकीय कार्मिक/पेंशनर्स सूचीबद्ध अस्पतालों में OPD की सुविधा ले सकेंगे।
2. राज्य स्वास्थ्य अभिकरण सूचीबद्ध अस्पतालों द्वारा कार्मिकों/पेंशनर्स से CGHS की दरों पर परामर्श शुल्क, Diagnostics/Radiology की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। चिकित्सक द्वारा परामर्शित दवाओं का क्रय लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जायेगा।
3. कार्मिक/पेंशनर्स चिकित्सा व्यय का भुगतान सूचीबद्ध अस्पताल में स्वयं करेंगे तथा उक्त व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा अपने नियंत्रण अधिकारी/डी0डी0ओ0 के माध्यम से स्वीकृत कराकर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को भुगतान हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।
4. कार्मिकों/पेंशनर्स द्वारा सूचीबद्ध चिकित्सालयों से कराये गये उपचार की अनिवार्यता प्रमाण–पत्र अस्पताल के उपचार करने वाले चिकित्सक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा तिथि सहित अभिप्रमाणित किया जायेगा।
5. विशेष परिस्थितियों में सूचीबद्ध चिकित्सालयों के अतिरिक्त अन्य OPD क्लीनिक में चिकित्सकों से कराये गये उपचार के अनिवार्यता प्रमाण पत्र का परीक्षण CGHS दरों पर जिला/उप जिला चिकित्सालय के प्रभारी अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा किया जायेगा तथा भुगतान डी0डी0ओ0 के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।
6. चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा स्वीकृत किये जाने से पूर्व निम्नलिखित चैक लिस्ट के अनुसार औपचारिकतायें पूर्ण होना अनिवार्य होगा:–

Scanned with CamScanner

चेक लिस्टः–

i. निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा। प्रपत्र में कार्मिकों/पेंशनरों की कर्मचारी संख्या, आधार संख्या व दूरभाष संख्या अंकित की जायेगी।

ii. समस्त मूल बिल वाउचर की मूलप्रति संलग्न हो।

iii. समस्त/बिल वाउचर चिकित्सक द्वारा तिथि सहित सत्यापित हो।

iv. चिकित्सक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा चिकित्सकीय उपचार एवं उसकी दरों का भली–भांति मूल्यांकन करते हुये सत्यापन किया जायेगा।

v. अनिवार्यता प्रमाण–पत्र (प्रारूप परिशिष्ट–1 के अनुसार) प्रस्तुत करना होगा।

vi. अनिवार्यता प्रमाण–पत्र में रोगी का नाम, उपचार की अवधि तथा व्यय की गयी धनराशि अंकित हो तथा व्यय विवरण संलग्न होगा।

vii. अनिवार्यता प्रमाण–पत्र में उल्लिखित उपचार अवधि के भीतर की ही तिथियों के बिल वाउचर्स का भुगतान किया जायेगा।

viii. अनिवार्यता प्रमाण–पत्र सूचीबद्ध चिकित्सालय/राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सक (गैर सूचीबद्ध चिकित्सालय से उपचार की दशा में) द्वारा तिथि सहित हस्ताक्षरित किया जायेगा।

12. प्रदेश के बाहर चिकित्सा उपचारः–

(i) प्रदेश के बाहर अस्पताल में भर्ती होने की दशा में चिकित्सा उपचार हेतु राजकीय कार्मिक एवं पेंशनर्स तथा उनके परिवार के सदस्यों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (NHA) द्वारा तैयार की गयी राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी (जिसमें सम्पूर्ण देश में चिकित्सालयों को सूचीबद्ध किया गया है) से जोड़ने की कार्यवाही की जायेगी और सूचीबद्ध चिकित्सालय को पैकेज की अनुमन्य दरों के आधार पर क्लेम का भुगतान किया जायेगा।

जिन प्रकरणों में पोर्टेबिलिटी की जाय उन समस्त मामलों को एस0एच0ए0 स्तर से आडिट करने के बाद ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाय। उक्त व्यवस्था पी0एम0ए0वाई0, राजकीय कार्मिक एवं पेंशनर्स को छोडते हुए लागू होगी। पोर्टेबिलिटी के देयकों का भुगतान एन0एच0ए0 की दरों के अनुसार किया जायेगा।

(ii) प्रदेश के बाहर अस्पताल में भर्ती होने की दशा में उपचार के लिए राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स को उत्तराखण्ड में स्थित किसी राजकीय/सूचीबद्ध निजी चिकित्सालय से रेफर कराना होगा। आपात स्थिति में उपचार हेतु सन्दर्भण कराने की आवश्यकता नही होगी।

(iii) प्रदेश के बाहर नई दिल्ली अथवा अन्य स्थानों पर कार्यरत राजकीय कार्मिक एवं पेंशनर्स व उन पर आश्रित उनके परिवार के सदस्य अस्पताल में भर्ती होने की दशा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (NHA) द्वारा तैयार की गयी राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी (जिसमें सम्पूर्ण देश में चिकित्सालयों को सूचीबद्ध किया गया है) से उपचार करा सकते हैं। इस हेतु रेफर कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

13. कार्यरत राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स के गोल्डन कार्ड बनवाने की प्रक्रियाः–

(i) कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों के गोल्डन कार्ड आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने कार्यालय के स्टाफ के सहयोग से तैयार करायेंगें।

(ii) पेंशनर्स एवं उनके परिवार के सदस्यों के गोल्डन कार्ड सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी अपने कार्यालय के स्टाफ के सहयोग से तैयार करायेंगे।

(iii) पेंशनर्स एवं उनके परिवार के सदस्य इसके अतिरिक्त अपने मूल विभाग के आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय से अथवा किसी भी आहरण वितरण अधिकारी के कार्यालय से भी गोल्डन कार्ड बनवा सकते हैं।

(iv) उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी एवं पेंशनर्स (उनके परिवार के सदस्यों को छोड़कर) किसी भी सामुदायिक सेवा केन्द्र (Common Service Centre-CSC) से अथवा सूचीबद्ध चिकित्सालय से भी गोल्डन कार्ड बनवा सकते हैं।

(v) राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) इस हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्य कोषाधिकारी एवं उनके स्टाफ को उनके नाम से अधिकृत करेगा।

(vi) राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्य कोषाधिकारी एवं उनके स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करने की समुचित व्यवस्था करेगा।

(vii) राजकीय कार्मिक/पेंशनर्स एवं उनके परिवार के प्रत्येक सदस्यों द्वारा गोल्डन कार्ड बनवाने हेतु रू0 30 प्रति कार्ड शुल्क आहरण एवं वितरण अधिकारी कार्यालय में जमा कराना होगा।

(viii) आहरण एवं वितरण अधिकारी एवं मुख्य कोषाधिकारी द्वारा प्रति कार्ड प्राप्त रू0 30 का उपयोग रू0 20 कार्ड तैयार कराने में व्यय के रूप में तथा रू0 10 स्टाफ को मानदेय दिये जाने हेतु किया जायेगा।

(ix) निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स के गोल्डन कार्ड बनाने के कार्य का पर्यवेक्षण करेगें।

14. उक्त योजना को राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स के अलावा स्वायत्तशासी निकाय, निगमों, प्राधिकरणों, विश्वविद्यालय तथा अनुदानित संस्थाओं के कार्मिकों, जिन्हें राज्य सरकार अनुदान (Grants in Aid) उपलब्ध कराती है, पर भी निम्न प्रतिबन्धों के साथ लागू किया जा सकता है :-

a) उक्त संस्थायें अपने गवर्निंग बॉडी, बोर्ड आदि से प्रस्ताव पास कराने के उपरान्त योजना (Scheme) को अंगीकृत कर सकेंगे।

b) उक्त योजना सम्बन्धित संस्थाओं/निकाय/निगम के सभी कार्मिको हेतु अनिवार्य होगी।

c) उक्त संस्थायें कार्मिकों/पेंशनर्स के वेतन/पेंशन से मासिक कटौती कर धनराशि राज्य स्वास्थ्य अभिकरण को ऑनलाईन उपलब्ध करायेंगे।

15. राज्य में COVID-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु लागू मेडिकल इमरजेंसी के दृष्टिगत कार्मिकों/पेंशनर्स हेतु प्रस्तावित राज्य स्वास्थ्य योजना (SGHS) का कियान्वयन की तिथि का निर्धारण राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा किया जायेगा। योजना लागू होने के पश्चात ही अंशदान की कटौती की जायेगी। राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (SGHS) लागू होने के पश्चात विभागों द्वारा अस्पतालों से अपने स्तर पर किये गये सभी अनुबन्ध समाप्त हो जायेगें।

Scanned with CamScanner

16. उक्त योजना के मौलिक स्वरूप को यथावत रखा जायेगा, परन्तु यदि योजना के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई होती है, तो इस हेतु परिवर्तन-परिवर्धन के लिये मा0 मुख्य मंत्री जी अधिकृत होंगे।

17. उपरोक्तानुसार सेवारत/सेवा निवृत्त सरकारी कार्मिकों एवं उनके आश्रितों के उपचार हेतु निर्धारित व्यवस्था के क्रम में उनके चिकित्सकीय उपचार की प्रतिपूर्ति हेतु पूर्ववर्ती शासनादेश संख्या–679/चि0–3–2006–437/2002, दिनांक 04.09.2006 की राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (State Government Health Scheme) के क्रियान्वयन की राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाने वाली तिथि से अतिक्रमित समझा जायेगा।

उक्त निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत होने वाले समस्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान प्रशासकीय विभागों द्वारा शासनादेश दिनांक 04.09.2006 (यथा संशोधित) के प्रावधान के अनुसार सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के आहरण–वितरण अधिकारियों द्वारा बजटीय प्रावधान के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

18. यह आदेश वित्त अनुभाग–3 के अशासकीय संख्या–07/(M)/XXVII(3)/2020, दिनांक 27 अप्रैल, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा हैं।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव

संख्या– (1)/XXVVIII-3-2020-04/2008. T.C., तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव–सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौडी/नैनीताल, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. निदेशक, कोषागार, पेन्शन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. समस्त वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. वित्त नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड शासन।
14. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर मिश्रा)
अनु सचिव

Scanned with CamScanner

मान भारत उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत (समस्त पेंशनर्स हेतु) राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत प्रदान किये गये चिकित्सकीय उपचार हेतु अनिवार्यता प्रमाण पत्र:

वाह्य/अन्तः रोगी के रूप में उपचार हेतु

मै डा0 .....प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पत्नी/पुत्र/पुत्री/माता/पिता .....कर्मचारी/पेंशनर पंजीकृत संख्या.....विभाग ....., जो ....रोग से पीड़ित है/थे, का उपचार दिनांक ..... से ..... तक वाह्य/अन्तः रोगी के रूप में ..... चिकित्सालय से मेरे द्वारा किया गया है/था।

2. मेरे द्वारा विहित औषधि व परीक्षण जो संलग्न वाउचर के अनुसार है, रोगी की स्थिति में सुधार/निवारण के लिये आवश्यक थी। इसमें ऐसी औषधि सम्मिलित नही है जिसके लिये समान थैरेप्यूटिक एफेक्ट वाला सस्ता पदार्थ उपलब्ध है और न ही वह विनिर्मित सामग्री सम्मिलित है, जो प्राथमिक रूप से खाद्य पदार्थ, टायलेटरीज व डिसइन्फेक्टेन्ट है।

3. **उपचार पर व्यय का विवरण :**

(क)	परामर्श शुल्क	रू0 .....
(ख)	औषधि पर व्यय	रू0 .....
(ग)	पैथोलोजिकल परीक्षण पर व्यय	रू0 .....
(घ)	रेडियोलोजिकल परीक्षण पर व्यय	रू0 .....
(ड.)	विशेष परीक्षण पर व्यय	रू0 .....
(च)	शल्य क्रिया पर व्यय	रू0 .....
(छ)	अन्य व्यय (विवरण सहित)	रू0 .....
	योग	रू0 .....

4. रोगी को चिकित्सालय में भर्ती कर उपचार किये जाने की आवश्यकता थी/नहीं थी।
संलग्नक :- मेरे द्वारा उपरोक्त सत्यापित/अभिप्रमाणित बिल/बाउचर संख्या .....

सम्बन्धित चिकित्सालय में चिकित्सक द्वारा किये गये उपचार के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र

(1) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... जो .... रोग से पीड़ित था/थी एवं उसका चिकित्सा उपचार मेरे द्वारा किया गया/जा रहा है।

(2) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... का चिकित्सा उपचार वर्तमान में नवीनतम प्रचलित चिकित्सा पद्धति के निर्धारित मापदण्डों के आधार पर किया गया है।

(3) चिकित्सालय द्वारा राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत सी0जी0एच0एस0 की दरों के अनुसार रोगी द्वारा कराये गये उपचार की धनराशि प्राप्त कर ली गयी है, जिसकी प्रतिपूर्ति रोगी को की जा सकती है।

(4) चिकित्सालय में श्री/श्रीमती/कुमारी..... को उपलब्ध करायी गई चिकित्सा सुविधा आवश्यक एवं उपचार हेतु न्यूनतम है/थी।

प्रतिहस्ताक्षर

हस्ताक्षर (दिनांक सहित)

प्राधिकृत चिकित्सक
(सम्बन्धित चिकित्सक एवं चिकित्सा केन्द्र/संस्थान का प्रमुख)

चिकित्सक
(नाम योग्यता मोहर सहित)

Scanned with CamScanner

सूचीबद्ध चिकित्सालयों से O.P.D उपचार हेतु:-

(1) सूचीबद्ध चिकित्सालयों में O.P.D उपचार की दशा में अनिवार्यता प्रमाण पत्र परामर्शी चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित एवं चिकित्सालय के मुख्य/प्रभारी चिकित्साधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(2) गैर सूचीबद्ध चिकित्सालयों में O.P.D उपचार की दशा में अनिवार्यता प्रमाण पत्र परामर्शी चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित तथा जिला/उप-जिला चिकित्सालय के प्रमुख (मुख्य चिकित्साधीक्षक/चिकित्साधीक्षक) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

आकस्मिकता की स्थिति में गैर सूचिबद्ध चिकित्सालयों में अन्तः रोगी उपचार (I.P.D) की दशा में प्रतिहस्ताक्षर कर्ता अधिकारी, महानिदेशक, चिकि0स्वा0 एवं प0क0, उत्तराखण्ड अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्रः

मै प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... का .... चिकित्सालय में उपचार किया गया। उपचारकर्ता को दी गई चिकित्सा सुविधा आवश्यक एवं उपचार हेतु न्यूनतम थी। उपचारकर्ता को चिकित्सा प्रतिपूर्ति योग्य निर्धारित धनराशि C.G.H.S. की दरों के अनुसार है।

हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षर कर्ता अधिकारी।